न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2017

अपीलांट

गोकुलराम पुत्र अणदाजी जाति मेघवाल निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमति सोमी पत्नी केसारामजी जाति कोली निवासी रेवदर तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
2. प्रतापराम पुत्र वेलाजी जाति कोली निवासी रेवदर तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दिनेश चन्द्र सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–09.09.2019.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा मुकदमा संख्या 31/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रेवदर खसरा नंबर 893 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी वेलाजी की पुश्तैनी आराजी थी, जो वेलाजी के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। वेलाजी के कब्जे काश्त व अधिकार के आधार पर उक्त आराजी वेलाजी के नाम नामान्तरकरण स्वीकार होकर खातेदारी में दर्ज हुई। वेलाजी के स्वर्गवास होने के प्श्चात उक्त भूमि वेलाजी के पुत्र प्रतापराम यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज हुई। उसके बाद प्रतापराम ने उक्त आराजी को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये अपीलांट का विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया। तब से लेकर आदिनांक तक अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट ने उक्त आराजी का रूपांतरण आवासीय प्रयोजन से अपने नाम करवाया, जिसकी संपूर्ण जानकारी तहसीलदार रेवदर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 होते हुए व रेकर्ड में उक्त भूमि का अंकन आबादी का अपीलांट के नाम हो जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना में यह अंकन किया कि इस न्यायालय को कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमि के लिये वाद श्रवण करने व सुनवाई का अधिकार नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर बिना किसी प्रकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार रेवदर से तलब कराये जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से निरंतर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रेवदर खसरा नंबर 893 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने हरजी से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के 1000/– रूपये में दिनांक 16.01.1986 को खरीद किया है। उक्त पंजीयन को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है। किन्तु केवल मात्र नामान्तरकरण नहीं होने से उक्त आराजी को प्रतापराम ने अपीलांट को बेचान कर दिया। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

बिन्दू यह उद्भूत होता है कि क्या वादग्रस्त आराजी हरजी पुत्र देवाजी का पुश्तैनी आराजी थी ? क्या हरजी पुत्र देवाजी को उक्त आराजी को बेचान करने का अधिकार था अथवा नहीं ? उक्त समस्त बिन्दुओ का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा मुकदमा संख्या 31/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही